प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनाँक- 26.04.2025

- **जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना गजनेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता।**
- **टप्पेबाजों/ठगों द्वारा गाँव-गाँव घूमकर फर्जी गोदरेज एग्रो फर्टिलाइजर कम्पनी की फ्रेंचाइजी खोलने के नाम पर लोगों को उनकी जगह किराये पर लेने की बात करके, भारी भरकम किराये का लालच देकर लोगों के साथ ठगी करने वाले 04 नफर शातिर टप्पेबाजों को थाना गजनेर पुलिस द्वारा स्वॉट टीम व अकबरपुर पुलिस की मदद से किया गया गिरफ्तार।**
- **टप्पेबाजों के कब्जे से गोदरेज एग्रो फर्टिलाइजर कंपनी के फर्जी कागज़ात, फेक आइडेंटिटी कार्ड, 12 अदद मोबाइल फोन, आधार कार्ड/पेन कार्ड/परिचय पत्र (जिन पर नाम पता गलत लिखे हैं), 10 लाख 04 हजार रुपए नकद, दो मोटर साइकिल बरामद हुईं।**
- **अभियुक्तों द्वारा विभिन्न जनपदों में इस प्रकार की घटनायें करना स्वीकार किया गया है।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 25.04.2025 को शाम के समय थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा स्वॉट टीम के साथ रुरा तिराहा सैय्यद बाबा मजार के पास संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि तभी 02 बाइक पर सवार 04 व्यक्ति आते हुए दिखायी दिये जिन्हें चेकिंग/पूछताछ हेतु रोका गया। पूछताछ में व्यक्तियों द्वारा संदेहास्पद जबाब देने पर उक्त व्यक्तियों की तलाशी ली गयी तो उन व्यक्तियों से फर्जी दस्तावेज, मोबाइल फोन व अन्य सामान बरामद हुआ। जिसके संबंध में थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा जनपद के समस्त थानों को सूचना दी गयी कि 04 संदिग्ध व्यक्ति जिनके द्वारा जनता के लोगों से

उनका प्लाट, मकान व दुकान आदि किराये पर लेने का एग्रीमेंट की बात करके एक हजार रूपया का चेक लिया जाता है और चेक में बढ़ाकर धनराशि लिखकर बैंको से पैसा निकालकर जनता के लोगों के साथ ठगी की जाती है। यदि इस प्रकार की घटना के संबंध में किसी भी थाने में कोई अभियोग पंजीकृत हो तो आवश्यक कार्यवाही करें। थाना अकबरपुर पर संदिग्धों को पूछताँछ हेतु रोका गया है।

इस सूचना पर तत्काल थाना गजनेर पुलिस द्वारा थाना अकबरपुर में पहुंचकर पूछताछ हेतु रोके गये संदिग्ध व्यक्तियों जिनका नाम क्रमशः 1. सुनील यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम दीवान खेड़ा पो0 मुक्तेमऊ थाना कुलखेड़ा जनपद उन्नाव 2. संदीप प्रताप सिंह पुत्र राजपाल सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम नरीचक थाना मोराँवा जनपद उन्नाव 3. विवेक सिंह पुत्र शिव कुमार सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम अकवाबाद थाना बीघापुर जनपद उन्नाव 4. दिलीप प्रताप सिंह पुत्र राजपाल सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम नरीचक थाना मोराँवा जनपद उन्नाव से प्राप्त सूचना के सम्बन्ध में गहनता से पूछताछ की गयी तो चारों व्यक्तियों ने बताया कि हम लोग एटलस बुक (भौगोलिक नक्शा की किताब) की मदद आस-पास के गाँवों की भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी जुटाकर लोगों से मिलते थे तथा गाँव-गाँव जाकर यह पता करते कि किसकी जमीन प्लॉट या मकान सड़क के किनारे है और जो रिटायर्ड अध्यापक या कर्मचारी हैं। उनके पास जाकर हम लोग अपना परिचय पत्र दिखा कर गोदरेज एग्रो फर्टिलाइजर कम्पनी को अपनी फ्रेंचाइजी खोलने के लिये कई गुना किराया देने की बात करके उनसे एप्लीकेशन फार्म आदि भरवाकर एग्रीमेण्ट करने के नाम पर उनसे एक हजार रूपया का खाली चेक लेकर अपने हिसाब से भरते हैं और चेक अपने पास रखकर अगले दिन एग्रीमेंट के कागज लेकर आने की बात कहकर चले आते हैं। उसके बाद हम लोग सीधा बैंक में जाकर चेक में धन राशि (खाता में मौजूद धनराशि के हिसाब से) बढ़ाकर/लिखकर बैंक से नगद पैसा निकाल लेते हैं। पैसे निकालते समय संदीप बैंक में अपना आधार कार्ड की फोटो कापी जिस पर गलत पता अंकित है, को बैंक में देकर पैसा लेकर आ जाते है। आगे पूछताछ में बताया कि थाना गजनेर क्षेत्र में दिनांक 08.10.2024 को ग्राम लुहारी में, दिनांक 13/14.02.2025 को ग्राम नहोली में तथा दिनांक 26.03.2025 को ग्राम भरतपुर प्यासी में हम लोगों ने इन्ही गाँव के रिटायर्ड अध्यापकों के साथ धोखाधड़ी कर क्रमशः 1,91,000 व 2,91,000 व 1,91,000 रूपये की ठगी की थी। इसी प्रकार दिनांक 22.04.2025 को ग्राम नसीरपुर थाना सिकन्दरा में एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी कर 1,81,000 रूपये की ठगी की थी। इसके अलावा दिनांक 31.01.2025 को ग्राम न्यूरिया थाना बिवार जनपद हमीरपुर में 1,91,000 रूपये की धोखाधड़ी कर पैसे निकाले थे। इसके अलावा जनपद इटावा, रायबरेली, फैजाबाद, देवरिया, बाराबंकी आदि जनपदों मे भी इसी प्रकार ठगी करके लोगों के पैसा निकाले हैं।

अभियुक्तों से बरामदगी- चारों अभियुक्तों व अभियुक्तों के पास बैगों की तलाशी ली गयी तो अभियुक्तों के कब्जे से निम्नलिखित बरामदगी की गयी-

1. ठगी करके निकाले गये बैकों से कुल 10 लाख 04 हजार रूपये (10,04,000 रू0) बरामद हुए, (जिनमें से मु0अ0सं0 303/2024 के 01 लाख पचास हजार रुपये, मु0अ0सं0 108/2025 के 01 लाख 60 हजार रूपये, मु0अ0सं0 107/2025 के 2,50,000 रू0 तथा थाना सिकन्दरा के 1,81,000 रुपये एवं अन्य रूपये इटावा व हमीरपुर की घटना से सम्बंधित है)।

2. 02 अदद मोटरसाइकिल (TVS कम्पनी राइडर रंग काला बिना नम्बर प्लेट, हीरो HF Deluxe No. UP35 AK 968)।

3. कुल 12 अदद मोबाइल फोन (07 अदद की पैड फोन व 05 अदद एण्ड्रॉइड फोन)।

4. कुल 07 अदद ATM/Credit Card ।

5. कुल 04 अदद आईडी कार्ड गोदरेज एग्रो कम्पनी।

6. कुल 04 अदद आधार कार्ड।

7. कुल 04 अदद पैन कार्ड।

8. कुल 04 अदद परिचय पत्र मतदाता।

9. 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस, 01 अदद मतदाता सूची।

10. 01 एटलस नोटबुक (भौगोलिक नक्शा की किताब)।

11. 03 अदद फाइल, 01 चेक, 13 अदद फॉर्म गोदरेज एग्रो कम्पनी के (12 फॉर्म खाली, 01 फॉर्म भरा हुआ)।

12. 10 अदद फॉर्म खाली (फ्रेंचाइजी), 01 आधारकार्ड की छायाप्रति।

अभियुक्तों से पूछताछ व बरामदगी के आधार कारण गिरफ्तारी बताते हुए पुलिस हिरासत में लेकर पंजीकृत अभियोगों में धारा 317(2) BNS की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सुनील यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम दीवान खेड़ा पो0 मुक्तेमऊ थाना कुलखेड़ा जनपद उन्नाव।
2. संदीप प्रताप सिंह पुत्र राजपाल सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम नरीचक थाना मोराँवा जनपद उन्नाव।

3. विवेक सिंह पुत्र शिव कुमार सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम अकवाबाद थाना बीघापुर जनपद उन्नाव।
4. दिलीप प्रताप सिंह पुत्र राजपाल सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम नरीचक थाना मोराँवा जनपद उन्नाव।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त सुनील यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 0303/2024 धारा 319(2)/318/(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
2.मु0अ0सं0 0107/2025 धारा 318/(4)/338/340(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
3.मु0अ0सं0 0108/2025 धारा 318/(4)/338/340(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
4.मु0अ0सं0 0086/2025 धारा 319(2)/318/(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
5.मु0अ0सं0 045/2025 धारा 319(2)/318/(4) बीएनएस थाना बिवार जनपद हमीरपुर।
6.मु0अ0सं0 077/2018 धारा 420/465/467/471 भा0द0वि0 थाना रामपुरा जनपद जालौन।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त संदीप प्रताप सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 0303/2024 धारा 319(2)/318/(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
2.मु0अ0सं0 0107/2025 धारा 318/(4)/338/340(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
3.मु0अ0सं0 0108/2025 धारा 318/(4)/338/340(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
4.मु0अ0सं0 0086/2025 धारा 319(2)/318/(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
5.मु0अ0सं0 045/2025 धारा 319(2)/318/(4) बीएनएस थाना बिवार जनपद हमीरपुर।
6.मु0अ0सं0 077/2018 धारा 420/465/467/471 भा0द0वि0 थाना रामपुरा जनपद जालौन।
7.मु0अ0सं0 0407/2021 धारा 419/420 भा0द0वि0 थाना सलौन जनपद रायबरेली।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त विवेक सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 0303/2024 धारा 319(2)/318/(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
2.मु0अ0सं0 0107/2025 धारा 318/(4)/338/340(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
3.मु0अ0सं0 0108/2025 धारा 318/(4)/338/340(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
4.मु0अ0सं0 0086/2025 धारा 319(2)/318/(4)/338/336(3)/340(2)बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
5.मु0अ0सं0 045/2025 धारा 319(2)/318/(4) बीएनएस थाना बिवार जनपद हमीरपुर।
6.मु0अ0सं0 077/2018 धारा 420/465/467/471 भा0द0वि0 थाना रामपुरा जनपद जालौन।

7.मु0अ0सं0 0407/2021 धारा 419/420 भा0द0वि0 थाना सलौन जनपद रायबरेली।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त दिलीप प्रताप सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 0303/2024 धारा 319(2)/318/(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

2.मु0अ0सं0 0107/2025 धारा 318/(4)/338/340(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

3.मु0अ0सं0 0108/2025 धारा 318/(4)/338/340(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

4.मु0अ0सं0 0086/2025 धारा 319(2)/318/(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

5.मु0अ0सं0 045/2025 धारा 319(2)/318/(4) बीएनएस थाना बिवार जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.निरीक्षक श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह प्रभारी स्पेशल टीम जनपद कानपुर देहात।

2.प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवीण कुमार यादव थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

3.उ0नि0 श्री जयप्रकाश शर्मा प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद कानपुर देहात।

4.व0उ0नि0 श्री यतेन्द्र कुमार थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

5. उ0नि0 श्री उमेश शर्मा चौकी प्रभारी कस्बा अकबरपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

6.उ0नि0 श्री जसवीर सिंह थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

7.हे0का0 मुकेश कुमार स्पेशल टीम जनपद कानपुर देहात।

8.हे0का0 चन्द्रप्रकाश स्पेशल टीम जनपद कानपुर देहात।

9.हे0का0 अजीत सिंह सर्विलांस टीम जनपद कानपुर देहात।

10.हे0का0 राजपाल सिंह थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

11.का0 रविन्द्र रावत स्पेशल टीम जनपद कानपुर देहात।

12.का0 प्रहलाद स्पेशल टीम जनपद कानपुर देहात।

13.का0 आलोक स्पेशल टीम जनपद कानपुर देहात।

14.का0 अकरम सर्विलांस टीम जनपद कानपुर देहात।

15.का0 साहिल श्रीवास्तव थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।